शिक्षा का अधिकार

समग्र शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./ रा.शि.के./मूल्यांकन/सी.सी.ई/2024–25/2609 भोपाल, दिनांक : 14.6.24

प्रति,

1. **जिला शिक्षा अधिकारी**
   समस्त जिले (म.प्र.)
2. **प्राचार्य**
   जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण
   समस्त जिले (म.प्र.)
3. **जिला परियोजना समन्वयक**
   जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले (म.प्र.)

विषय :– सतत व्यापक मूल्यांकन सत्र 2024–25 हेतु कार्यकारी निर्देश।

संदर्भ :– रा.शि.के का पत्र क्रं./मूल्यांकन/वार्षिक मूल्यांकन/5711, भोपाल, दिनाँक 04.08.2023

विषयान्तर्गत लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अन्तर्गत वर्ष 2024–25 हेतु कक्षा 1 से 8 हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रमुख दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं –

1. **मासिक मूल्यांकन**– कक्षा शिक्षण के दौरान सतत व्यापक मूल्यांकन अंतर्गत मासिक मूल्यांकन संलग्न ब्लूप्रिंट (परिशिष्ट–1) अनुसार निम्नानुसार किया जाए –

1.1 **कक्षा 1, व 2** में पृथक से मासिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। इन कक्षाओं में FLN आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजनानुसार किया जाए।

1.2 **कक्षा 3 से 8** तक कक्षावार सभी विषयों में मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार माह के अंतिम सप्ताह में शाला स्तर पर किया जाए।

1.3 मासिक मूल्यांकन हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम अनुसार 10–10 अंकों के लर्निंग आउटकम्स आधारित गुणवत्ता युक्त प्रश्नपत्र बनाया जाए। मूल्यांकन में मौखिक प्रश्नों को भी शामिल किया जाये।

1.4 वर्तमान अकादमिक सत्र में मासिक मूल्यांकन, माह अगस्त, सितम्बर, दिसम्बर, व जनवरी में लिए जाएं।

1.5 मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय बच्चे की कॉपी में सही के निशान लगाकर केवल हस्ताक्षर न करके उसकी त्रुटियों पर लाल पेन से गोला लगाकर सुधार भी किया जाये। त्रुटियों के बारे में बच्चे को व्यक्तिगत फीडबैक/टीप देकर पुनः अभ्यास कराया जाए।

1.6 मासिक मूल्यांकन संबंधी समस्त अभिलेख शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक/विषय शिक्षक द्वारा संधारित किए जाएं। कक्षा 3, 4, 6 व 7 के छात्रों के मासिक मूल्यांकन के प्राप्तांको के आधार पर ग्रेड निकालकर इसकी प्रविष्टि वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं प्रगति पत्रक में भी की जाए।

1.7 **उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण, लर्निंग गैप्स का चिन्हांकन तथा विशेष शिक्षण** – विषय शिक्षकों द्वारा मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं का प्रश्नवार एवं छात्रवार विश्लेषण कर लर्निंग गैप्स की पहचान की जाए एवं शाला स्तर पर विशेष शिक्षण की व्यवस्था कर अपेक्षित दक्षताएं पूर्ण कराई जाएं।

2. अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन –

2.1 कक्षा 1 व 2 हेतु – शासकीय शालाओं में FLN आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजनानुसार किया जाए। पृथक से अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए।

2.2 कक्षा 3 से 8 हेतु – शासकीय शालाओं में अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रदत्त प्रश्न पत्रों एवं निर्धारित समय–सारणी अनुसार कराया जाए। इसके विस्तृत निर्देश एवं समय–सारिणी यथा समय जारी होंगे। अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन नवंबर अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाना संभावित है।

2.3 अर्द्धवार्षिक लिखित मूल्यांकन में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 60 अंक निर्धारित है।

2.4 मान्यता प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त शालाओं (SCERT/NCERT कोर्स संचालित करने वाली शालाएं) एवं डाईस कोड प्राप्त मदरसों में अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन माह अक्टूबर तक पढ़ाये गये पाठ्यक्रम के आधार पर राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्धारित समय सारिणी व ब्लूप्रिंट अनुसार, किया जाए। इन शालाओं द्वारा अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन के प्रश्नपत्र शाला स्तर पर निर्मित किए जाएं।

2.5 अर्द्ध वार्षिक मूल्यांकन में बच्चों की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

3. वार्षिक मूल्यांकन (कक्षा 1, 2, 3, 4, 6 व 7)

3.1 कक्षा 1 व 2 में FLN आधारित आवधिक आकलन पूर्व प्रसारित निर्देशानुसार किया जाए। पृथक से वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाए।

3.2 शासकीय शालाओं में कक्षा 3, 4, 6 एवं 7 के मुख्य विषयों के प्रश्नपत्र निर्धारित ब्लूप्रिंट के आधार पर rskmp.in परीक्षा पोर्टल द्वारा जनरेट कर जिलों से साझा किए जाएंगे। वार्षिक परीक्षा राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी समय सारिणी अनुसार सम्पन्न कराई जायेगी जिसके निर्देश यथा समय पृथक से जारी किए जाएंगे।

3.3 वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु अधिकतम अंक–60 एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु 40 अंक निर्धारित रहेंगे। विषयवार विद्यार्थी द्वारा दो प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित हैं जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाए।

3.4 वार्षिक लिखित परीक्षा एव प्रोजेक्ट कार्य में छात्र को पृथक–पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा।

3.5 वार्षिक परीक्षाफल विषयवार मासिक टेस्ट (अधिकतम अंक– 40) का अधिभार 10 अंक, अर्द्धवार्षिक परीक्षा (अधिकतम अंक–60) अधिभार 20 अंक, वार्षिक लिखित परीक्षा (अधिकतम अंक–60) के प्राप्तांक तथा प्रोजेक्ट कार्य (अधिकतम अंक– 40) का अधिभार 10 अंक को जोड़कर तैयार किया जाए एवं कुल योग के आधार पर विषयवार ग्रेड प्रदान किए जाएं।

3.6 वार्षिक मूल्यांकन के परिणाम में 'E' ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण शाला स्तर पर कराया जाए तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त होने की पुष्टि हेतु शाला स्तर पर मूल्यांकन करने के पश्चात ही कक्षोन्नति प्रदान की जाए।

4. वार्षिक मूल्यांकन (कक्षा 5 व 8)

4.1 राज्य द्वारा आयोजित वार्षिक लिखित परीक्षा कक्षा–5 व 8 में शासकीय शालाओं, मान्यता प्राप्त समस्त अशासकीय शालाओं व अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाईस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत विद्यार्थी (SCERT/NCERT कोर्स संचालित करने वाली शालाओं के) सम्मिलित होंगे।

4.2 वार्षिक लिखित परीक्षा फरवरी/मार्च 2025 में संभावित है जिसकी समय सारिणी एवं निर्देश राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

4.3 वार्षिक लिखित परीक्षा में विषयवार अधिकतम अंक 60 एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित हैं।

4.4 प्रत्येक विषय में विद्यार्थी द्वारा कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किये जायेगें। प्रत्येक प्रोजेक्ट हेतु 10 अंक निर्धारित हैं जिसका मूल्यांकन शाला स्तर पर किया जाएगा एवं प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्ताकों की प्रविष्टि, परीक्षा पोर्टल पर विद्यालय प्रमुख/कक्षा शिक्षक द्वारा की जायेगी।

4.5 अर्द्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 5 व 8 के विद्यार्थियों के विषयवार प्राप्तांको की प्रविष्टि राज्य द्वारा विकसित परीक्षा पोर्टल में विद्यालय प्रमुख/कक्षा शिक्षक द्वारा की जाएगी। अधिभार की गणना सॉफ्टवेयर द्वारा की जाकर वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा।

4.6 वार्षिक परीक्षा कक्षा–5 व 8 में विभिन्न घटकों का अधिभार निम्नानुसार होगा–

- अर्द्धवार्षिक परीक्षा (लिखित) – अधिभार 20 अंक
- वार्षिक परीक्षा (लिखित) – पूर्णांक 60 में से प्राप्तांक
- वार्षिक परीक्षा (प्रोजेक्ट कार्य) – अधिभार 20 अंक

4.7 वार्षिक लिखित परीक्षा (बाहय मूल्यांकन) एवं प्रोजेक्ट कार्य (आंतरिक मूल्यांकन) में पृथक–पृथक न्यूनतम 33% प्राप्त करना अनिवार्य है। कक्षा–5 व 8 में प्रत्येक विषय के बाहय एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षाफल घोषणा के उपरांत अनुत्तीर्ण विषयों में अतिरिक्त शिक्षण प्रदान कर दो माह की कालावधि के भीतर पुनःपरीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उसकी अध्ययनरत् कक्षा में ही रोका जाएगा।

5. **वार्षिक परीक्षा (कक्षा–4 से 8) हेतु समेकित ग्रेड का विवरण** – वार्षिक परीक्षा परिणाम के कुल प्राप्तांकों के आधार पर निम्नानुसार समेकित ग्रेड प्रदान किए जाएं–

कक्षा	ग्रेड	A+	A	B+	B	C+	C	D	E
3, 4, 6, 7	प्राप्तांक (प्रतिशत)	85 से अधिक	76-85	66-75	56-65	51-55	46-50	33-45	33 से कम (सुधार योग्य)

कक्षा	ग्रेड	A+	A	B+	B	C+	C	D	F
5,8	प्राप्तांक (प्रतिशत)	85 से अधिक	76-85	66-75	56-65	51-55	46-50	33-45	33 से कम (अनुत्तीर्ण)

5.1 **सह–शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन** – सदर्भित पत्र द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार किया जाए।

5.2 **परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक** – प्रत्येक बच्चे के मासिक, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांक अनुसार ग्रेड एवं सह–शैक्षिक क्षेत्र संबंधी गतिविधियों में सहभागिता के आधार पर प्राप्त ग्रेड संबंधी समस्त अभिलेख शाला स्तर पर संधारित किए जाएं।

5.3 **समग्र प्रगति पत्रक** – परीक्षा परिणाम अभिलेख पत्रक में दर्शाए अभिलेख अनुसार प्रत्येक बच्चे की प्रगति को 'समग्र प्रगति पत्रक' में अंकित कर विद्यार्थी को वितरित किया जाए। समग्र प्रगति पत्रक पर प्रधानाध्यापक की पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर अनिवार्य हैं।

5.4 **पालक शिक्षक बैठक** – दो माह में कम से कम एक बार बच्चों की शैक्षिक प्रगति, सह–शैक्षिक व व्यक्तिगत–सामाजिक गुणों की स्थिति को पालकों के साथ बैठक करके साझा किया जाए एवं पालकों को छात्र पोर्टफोलियो एवं समग्र प्रगति–पत्रक का अवलोकन कराया जाए।

सतत–व्यापक मूल्यांकन संबंधी उपर्युक्तानुसार कार्यवाही शाला स्तर से की जाए एवं प्रत्येक शाला तक इसकी सूचना प्रेषित किया जाना सुनिश्चित हो।

इसकी मॉनीटरिंग ज़िले, विकासखण्ड व जनशिक्षा केन्द्र स्तर पर सतत् रूप से की जाए। सतत् व्यापक मूल्यांकन संबंधी उपकरण पूर्व वर्षों के अनुसार रहेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(धनराजू एस.) 14/06/2024
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृ.क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/सी.सी.ई/2024–25/2610 भोपाल, दिनांक : 14.6.24

प्रतिलिपि–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. सहा. आयुक्त आदिवासी विकास विभाग संबंधित जिले (म.प्र)
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
8. कलेक्टर, समस्त जिले (म.प्र.)
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
10. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल, भोपाल।
11. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
12. सचिव, मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड, भोपाल।
13. समस्त प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
14. समस्त प्राचार्य, संकुल केन्द्र (हाईस्कूल/हायरसेकण्डरी स्कूल), मध्यप्रदेश।
15. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/बीआरसीसी, मध्यप्रदेश।
16. म.प्र. एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

उक्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

14/06/2024
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

परिशिष्ट–1

मासिक मूल्यांकन प्रश्नपत्र का ब्लू प्रिंट प्रारूप
सत्र 2023–24

कक्षा	प्रश्न का प्रकार	लिखित			मौखिक अंक	कुल अंक
		प्रश्नों की संख्या	प्रति प्रश्न निर्धारित अंक	लिखित अंक		
4 व 5	I) वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय)	4	½	2	3	10
	II) वस्तुनिष्ठ (रिक्त स्थान)	3	½	1½		
	III) अतिलघुउत्तरीय	2	1	2		
	IV) लघुउत्तरीय	1	1½	1½		
6, 7 व 8	I) वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय)	2	½	1	1	10
	II) वस्तुनिष्ठ (रिक्त स्थान)	2	½	1		
	III) अतिलघुउत्तरीय	2	1	2		
	IV) लघुउत्तरीय	2	1½	3		
	V) दीर्घउत्तरीय	1	2	2		

नोट–

1. प्रश्नपत्र में माहवार पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक पाठ/अध्याय के प्रश्न सम्मिलित किए जाएं जिसमें प्रश्न के प्रकार वस्तुनिष्ठ/अतिलघुउत्तरीय/लघुउत्तरीय/दीर्घउत्तरीय हो सकते हैं।
2. प्रश्न बनाते समय लर्निंग आउटकम्स को भी आधार बनाया जाए।

14/6/24

निदेशक मूल्यांकन
राज्य शिक्षा केन्द्र